यह निरीक्षण प्रतिवेदन प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्रताप नगर, टिहरी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध कराई गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्रताप नगर, टिहरी के माह 04/2012 से 12/2017 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री सुधीर कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री खुसी राम, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 17/01/2018 से 20/01/2018 तक श्री दानिश इकबाल वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-प्रथम

1. परिचयात्मकः- इस इकाई की यह प्रथम लेखा परीक्षा है।

2. (I) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः-

(अ) प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्रताप नगर, टिहरी का मुख्य कार्यकलाप ब्लॉक में आकस्मिक स्वास्थ्य सेवायें प्रदान की जाती हैं तथा प्रसव की सेवायें निशुल्क दी जाती हैं।

(ब) प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्रताप नगर, टिहरी एवं इकाई द्वारा संचालित योजनाओं का भौगोलिक क्षेत्र समस्त 0.4 हेक्टेयर हैं।

(II) (अ) विगत छः वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

धनराशि (₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		अधिक्य (+)	बचत (-) समर्पण
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2012-13	--	--	215.37	201.95	8.24	2.95	--	18.71
2013-14	--	--	294.78	257.62	11.19	7.23	--	41.12
2014-15	--	--	327.22	284.71	5.06	4.35	--	43.22
2015-16	--	--	307.01	281.15	13.19	12.18	--	26.87
2016-17	--	--	357.62	305.13	26.95	25.17	--	54.27
2017-18 (up to Dec. 2017	--	--	348.20	251.32	93.87	13.78	--	

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः-

वर्ष	योजना का नाम	प्रा. अवशेष	प्राप्त	व्यय आधिक्य (+)	बचत/समर्पण (-)
शून्य					

(iii) इकाई को बजट प्राप्ति के मुख्य स्त्रोत निदेशक आई0 सी0 डी0 एस0 देहरादून एवं भारत सरकार से प्राप्त होते है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. सचिव 2. महा निदेशक 3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी 4. प्रभारी चिकित्सा अधिकारी 5. समस्त उप केन्द्र

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्रताप नगर, टिहरी को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्रताप नगर, टिहरी की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 07/2012, 09/2013, 04/2016 एवं 08/2016 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय धनराशि के आधार पर किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग दो- (ब)</u>

प्रस्तर **01 :** दिशा निर्देशों का पालन न कर जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत धनराशि रूपये **37.14** लाख की सहायता राशि के अनियमित भुगतान।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत जननी सुरक्षा योजना को एक महत्वपूर्ण अंतक्षेप के रूप में समाविष्ट किया गया था जिससे महिलाओं की पहुँच संस्थागत प्रसवों तक हो सके एवं जिसके प्रभाव से मातृत्व मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी लायी जा सके। जे॰ एस॰ वाई॰ का उद्देश्य सभी महिलाओं को वित्तीय पैकेज उपलब्ध कराकर संस्थागत प्रसव के लिए प्रोत्साहित करना है। भारत सरकार द्वारा जारी जननी सुरक्षा योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार लाभार्थी को प्रसव के समय अथवा प्रसव के सात दिन पहले तक किया जा सकता है।

जननी योजना हेतु भारत सरकार द्वारा जारी कार्यान्वयन दिशा-निर्देशों के अनुसारः-

1. प्रसव की संभावित तिथि से 16-20 सप्ताह पूर्व JSY फार्म भरा जाना चाहिए;
2. प्रसव की संभावित तिथि से 2 सप्ताह पूर्व पूर्ण भरे हुए JSY कार्ड स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सा अधिकारी के सत्यापन के लिए प्रस्तुत किए जाने चाहिए;

कार्यालय प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, प्रताप नगर, टिहरी के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि वर्ष 04/2012 से 12/2017 तक JSY योजना के अंतर्गत कुल रूपये 37,14,200.00 भुगतान किया गया था। उक्त अवधि में जननी सुरक्षा योजना के प्रत्येक मामलें में JSY कार्ड प्रसव के समय या प्रसव के बाद भरे गए थे, जबकि दिशा-निर्देशों के अनुसार JSY कार्ड प्रसव की संभावित तिथि से 16-20 सप्ताह पूर्व भरा जाना चाहिए एवं प्रसव के बाद प्रभारी चिकित्साधिकारी को भुगतान के समय इस बात का प्रमाण पत्र देना चाहिए था कि लाभार्थी JSY के मानदंडों के अनुसार लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र है। परंतु किसी भी मामलें में प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा यह प्रमाण पत्र अंकित नहीं किया गया। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 12-2012 से 12/2017 तक जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत दिशा-निर्देशों का पालन न करते हुए रूपये 37.14 लाख का अनियमित भुगतान किया गया।

उक्त के सम्बंध में इंगित किए जाने पर चिकित्सा अधीक्षक ने उत्तर दिया कि भविष्य में दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित समय पर JSY प्रपत्र भरा जाएगा, पहचान पत्र एवं referral कार्ड संग्रहीत न किए जाने के अवगत कराया गया कि भविष्य में निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि लाभार्थियों को भुगतान दिशा-निर्देशों के अनुसार ही किया जाना चाहिए था, जो विभाग द्वारा नहीं किया गया। अतः दिशा निर्देशों का पालन न कर जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत धनराशि रूपये 37.14 लाख की सहायता राशि के अनियमित भुगतान का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग दो- (ब)</u>

प्रस्तर **02 :** युजर्स चार्जेज के रुप सें रुपयें **34,391/-** कम की वसूली एवं विभागीय आदेश के अनुपालन में युजर्स चार्जेज के दर में परिवर्तन न किया जाना।

महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड के पत्रांक 715/XXVIII-5/2010-1/2009 दिनांक 21 जून 2010 के बिन्दु संख्या 14 में यह प्रावधान किया गया था कि चिकित्सालयों द्वारा वसूल किये जा रहे यूजर्स चार्जेस में प्रति वर्ष 10 प्रतिशत (कम से कम 1 रुपये) की वृध्दि की जानी अनिवार्य थी। इसके अतिरिक्त महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक 194/8/229/2008-1/ 42543 देहरादून दिनांक 11.11.2009 द्वारा राज्य के सभी औषधालयों प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु रुपये 2, 15 दिनों के लिए एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु रुपये 3, 15 दिनों के लिए दिनांक 1.1.2015 से निर्धारित किया गया था।

प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्रताप नगर के लेखा अभिलेखों की जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि इकाई में एवं इकाई के अधीन संचालित महिला चिकित्सालय, माजफ, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र छेपरधार में यथानुसार वृध्दि नही की गयी थी।

क्रं॰ सं॰	वर्ष (जनवरी से दिसम्बर)	काटे गए पर्चों की संख्या	निर्धारित रजिस्ट्रेशन शुल्क की दर	रजिस्ट्रेशन शुल्क में की गयी वृद्धि	रजिस्ट्रेशन शुल्क प्राप्ति में कमी
1	2015	8029	2/-	शून्य	8029
2	2016	8399	2/-	शून्य	16798
3	2017	3188	2/-	शून्य	9564
योग					**34391**

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट था कि वर्ष जनवरी 2015 से दिसम्बर 2017 तक युजर्स चार्जेज के रुप में कुल रुपयें 34391 कम की वसूली की गयी थी। इसके अतिरिक्त विभागीय आदेश के अनुपालन में युजर्स चार्जेज की दर में दिनांक 1 जनवरी 2015 से लागू होने वाली संशोधित दरों को पुनरीक्षित नही किया गया था, जिस कारण सरकार को युजर्स चार्जेज के रुप में रुपयें 34391/- कम की वसूली करके धन की हानी पहुँचाई गयी।

उक्त के सम्बंध में इंगित किए जाने पर चिकित्सा अधीक्षक ने उत्तर आकड़ो की पुष्टि की तथा यह अवगत कराया कि भविष्य में ध्यान रखा जायेगा।

इकाई का उत्तर स्वयं लेखा परीक्षा की आपत्ति की पुष्टि करता है अतः युजर्स चार्जेज के रुप सें रुपयें 34,391/- कम की वसूली एवं विभागीय आदेश के अनुपालन में युजर्स चार्जेज के दर में परिवर्तन न किये जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 01 : त्रुटिपूर्ण मानव संसाधन प्रबंधन एवं चिकित्सको तथा सहयोगी स्टाफ की कमी के कारण चिकित्सा सेवा पर दुष्प्राभाव।

जनपद टिहरी के प्रताप नगर ब्लाक मे स्थानीय जनता को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से सामुदायिक स्वास्थ केंद्र प्रताप नगर का गठन किया गया था। सामुदायिक स्वास्थ केंद्र प्रताप नगर के लिए निम्नलिखित पद सृजित किया गया था परन्तु सृजित पदो के सापेक्ष विगत कई वर्षो से चिकित्सको की तैनाती नहीं की गयी जिसका विवरण निमन्वत था-

सामु0स्वा0केन्द्र प्रतापनगर, टिहरी गढ़वाल।			
पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद
3	4	5	6
चिकित्सा अधीक्षक	1	0	1
फिजीशियन	1	1	–
जनरल सर्जन	1	0	1
बाल रोग बिशेषज्ञ	1	1	'–
निश्चेतक	1	1	–
स्त्री रोग बिशेषज्ञ	1	–	1
दन्त शल्यक	1	1	–
स्टाफ नर्स	3	1	2
एक्स–रे– टैक्नीशियन	1	–	1
डेन्टल हाईजेनिस्ट	1	–	1
वरिष्ठ सहायक	1	–	1
कनिष्ठ सहायक	1	–	1
योग–	**14**	**5**	**9**
प्रा0 स्वा0 केन्द्र प्रतापनगर, टिहरी गढवाल।			
पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद
3	4	5	6
प्रभारी चिकित्साधिकारी	1	-	1
चिकित्साधिकारी द्वितीय	1	1	-
फार्मासिस्ट	1	1	-
वरिष्ठ सहायक	1	-	1
अन्वेषक कम संगणक	1	-	1
कक्ष सेवक	1	1	-
सफाई सेवक	1	1	-
लैब टेक्नीशियन	1	-	1
वाहन चालक	1	1	-
स्वास्थ्य सहायक	4	1	3
स्वास्थ्य निरीक्षक	2	-	2
एस0 पी0 एस0	1	-	1
स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरूष	11	1	10
स्वास्थ्य कार्यकर्ती महिला	12	4	8
स्वास्थ्य निरीक्षिका	2	2	_
एच0 वी0 प्योन	1	1	-
नेत्र सहायक/दृष्टिमीतिज्ञ	1	1	-

एच0 ई0 आई0 ओ0	1	-	1
फार्मासिस्ट (उपकेन्द्र)	10	10	-
योग	**54**	**25**	**29**

अति0 प्रा0 स्वा0 केन्द्र एवं रा0 एलो0 चिकित्सालय (प्रा0 स्वा0 केन्द्र प्रतापनगर, टिहरी गढवाल के अन्तर्गत)

पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद
3	**4**	**5**	**6**
चिकित्साधिकारी	2	2	-
फार्मासिस्ट	1	1	-
स्वास्थ्य कार्यकर्ती महिला	1	1	-
कक्ष सेवक	1	1	-
एच0 वी0 प्योन	1	1	-
सफाई सेविका	1	1	-
स्वास्थ्य निरीक्षिका	1	1	-
योग	**8**	**8**	**0**
चिकित्साधिकारी	1	-	1
फार्मासिस्ट	1	1	-
कुक कम चौकीदार	1	-	1
सफाई सेविका	1	1	-
वार्ड आया	1	-	1
स्वास्थ्य कार्यकर्ती महिला	1	1	-
योग	**6**	**3**	**3**
चिकित्साधिकारी	1	1	-
फार्मासिस्ट	1	-	1
कक्ष सेवक	1	1	-
सफाई सेवक/चौकीदार	1	1	-
योग	**4**	**3**	**1**
चिकित्साधिकारी	1	1	-
फार्मासिस्ट	1	1	-
कक्ष सेवक	1	_	1
सफाई सेवक/चौकीदार	1	1	-
योग	**4**	**3**	**1**
चिकित्साधिकारी	1	-	1
फार्मासिस्ट	1	1	-
कक्ष सेवक	1	1	-
सफाई सेवक/चौकीदार	1	1	-
योग	**4**	**3**	**1**
चिकित्साधिकारी	1	-	1
फार्मासिस्ट	1	1	-
कक्ष सेवक	1	1	-
सफाई सेवक/चौकीदार	1	1	-
योग	**4**	**3**	**1**
चिकित्साधिकारी	1	1	-
फार्मासिस्ट	1	1	-
कक्ष सेवक	1	1	-
सफाई सेवक/चौकीदार	1	1	-
योग	**4**	**4**	**0**
चिकित्साधिकारी	1	-	1
फार्मासिस्ट	1	1	-
कक्ष सेवक आउट सोर्सिंग से	1	1	-
सफाई सेवक/चौकीदार आउट सोर्सिंग से	1	1	-

योग	4	3	1
सामु0 स्वा0 केन्द्र चौण्ड़ (लम्बगांव) टि0 ग0।			
पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद
चिकित्सा अधीक्षक	1	–	1
फिजीशियन	1	–	1
जनरल सर्जन	1	–	1
बाल रोग बिशेषज्ञ	1	–	1
निश्चेतक	1	1	–
स्त्री रोग बिशेषज्ञ	1	–	1
दन्त शल्यक	1	1	–
स्टाफ नर्स	3	1	2
एक्स–रे– टैक्नीशियन	1	–	1
लैब टैक्नीशिन	1	–	1
डेन्टल हाईजेनिस्ट	1	1	–
फार्मासिस्ट	1	1	–
वरिष्ठ सहायक	1	–	1
कनिष्ठ सहायक	1	–	1
योग–	16	5	11
कुल योग	122	65	57

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि चिकित्सको एवं स्टाफ के अधिकांश पद रिक्त थे,ऊपर दिये हुए 122 पदो के सापेक्ष 57 पद रिक्त थे। पदो के रिक्त रहने के कारण स्वास्थ सेवाओं पर एवं सरकारी योजनाएँ के संचालन तथा अनुश्रवण के कार्यों मे बाधा व कठिनाई होना स्वाभाविक था तथा स्थानीय जनता को मिलने वाले स्वास्थ सेवाओं पर प्रतिकूल प्राभाव पड़ने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

उक्त के सम्बंध में इंगित किए जाने पर चिकित्सा अधिकारी द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि की तथा यह अवगत कराया गया कि चिकित्सको एवं सहयोगी स्टाफ की स्वास्थ्य केन्द्र में आवश्यकता है लेकिन शासन स्तर से नहीं की गयी। उक्त पदों पर नियुक्ति न होने के कारण आम जनता को शल्य चिकित्सा से संबन्धित सुविधायें प्राप्त न होने के कारण आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

विभाग का उत्तर स्वयं आपत्ति की पुष्टि करता है सामुदायिक स्वस्थ्य केन्द्र में स्टाफ की भारी कमी थी तथा पदो के रिक्त रहने के कारण स्वास्थ सेवाओं पर एवं सरकारी योजनाओं के संचालन तथा अनुश्रवण के कार्यों मे बाधा व कठिनाई हो रही थी तथा स्थानीय जनता को मिलने वाली स्वास्थ सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था।

अतः त्रुटिपूर्ण मानव संसाधन प्रबंधन एवं चिकित्सको तथा सहयोगी स्टाफ की कमी के कारण चिकित्सा सेवा पर दुष्प्राभाव का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-दो (अ) प्रस्तर संख्या	भाग-दो (ब) प्रस्तर संख्या	स्टेन
प्रथम लेखा परीक्षा			

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
प्रथम लेखा परीक्षा				

भाग-IV

इकाई के सर्वेत्तम कार्य

----------शून्य---------

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्रताप नगर, टिहरी तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।
2. लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

(I) शून्य

3. सतत् अनियमितताएं

(I) शून्य

4. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः

क्र.सं.	नाम	पदनाम	अवधि
1.	डॉ0 रंजना परेल	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी	01.04.12 से 17.07.12
2.	डॉ0 राम प्रकाश	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी	18.07.17 से 03.08.12
3.	डॉ0 हेमन्त मिश्रा	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी	04.08.12 से 02.01.13
4.	डॉ0 राम प्रकाश	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी	03.01.13 से 15.01.14
5.	डॉ0 अजय कुमार	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी	16.01.14 से 22.03.17
6.	डॉ0 श्याम विजय	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी	23.03.17 से 25.08.17
7.	डॉ0 मनोज वर्मा	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी	26.08.17 से वर्तमान तक

(V) लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्रताप नगर, टिहरी को इस आशय से प्रेषित किया गया कि वह लेखापरीक्षा टिप्पणी की प्राप्ति के एक माह के भीतर उसकी अनुपालन आख्या सीधे उप-महालेखाकार, सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.